वादी अधिवक्ता की एक तरफा बहस विधिवत सुनी गई। पत्रावली को अवलोकन किया गया वादपत्र स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पत्रावली पर पृथक से लिखा गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इन्द्रगढ़ (बून्दी)

निर्णय

22-7-22 वादी जर्ये व्यवस्थापक द्वारा वाद-पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ख.स. 134 रकबा 1.60 हैक्टर कृषि भूमि ग्राम रकसपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है। उक्त विवादित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में मन्दिर श्री कृष्ण गोपालजी विराजमान कलवन के नाम दर्ज है। वाद वर्णित आराजी को प्रतिवादी स.1 के द्वारा कब्जे काश्त व नाजायज रूप से कब्जा करने की धमकी दी जाती है यदि अप्रार्थी द्वारा कब्जा कर लिया गया तो मन्दिर मूर्ति की सेवापूजा भोग प्रसादी की व्यवस्था खराब हो जायेगी। और निवेदन किया कि अप्रार्थी स.1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादी के अधिवक्ता से वाद पत्र में अंकित तथ्यो का दुहराव किया और निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि मन्दिर मूर्ती की आराजी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे।

हमारे द्वारा वादी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि मन्दिर मूर्ति अल्पव्यस्क है। हित पोषण में सक्षम नही है इसलिए व्यवस्थापक को मन्दिर मूर्ति की देखभाल व अन्य व्यवस्था के लिए उसके नाम दर्ज सम्पत्तियो को संरक्षित करने की कार्यवाही का अधिकार है।

उक्त विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड के अनुसार ग्राम रुसपुरा के खसरा संख्या 134 रकबा 1.60 हैक्टर मन्दिर श्री कृष्ण गोपालजी विराजमान बलवन व्यवस्थापक जागीरदार शिवनन्दनसिंह बलवन दर्ज है। शिवनन्दन सिंह की मृत्यु हो चुकी है उनके पुत्र ने हितैषी के रूप में दावा प्रस्तुत किया गया है। मन्दिर मूर्ति अल्पव्यस्क है स्वयं के हित का संरक्षण नही कर सकता इसलिए व्यवस्थापक व हितैषी को उनके हित को संरक्षित करने का अधिकार है। मन्दिर मूर्ति अल्पव्यस्क होने अपना हित स्वयं संरक्षित नही करने से वादपत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः मन्दिर व्यवस्थापक मन्दिर मूर्ति वाद पत्र को स्वीकार किया जाता है।

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
कि प्रतिवादी सं. 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि वह विवादित आराजी खसरा सं. 134 रकबा 1.60 हैक्टर वाके ग्राम रूकसपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित कृषि भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे। न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे तदनानुसार पर्ची डिक्री जारी हो। पत्रावली कैफियत मुताबिक होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी हाडोती (बून्दी)	